



# OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: [hegtcdcano@mp.gov.in](mailto:hegtcdcano@mp.gov.in)

9893076404

## Sujeeta Soni Joining Letter

माइपूल में काम डेट किया गया  
July 07.2.2020

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति  
महाविद्यालय शासकीय तुल्सी महाविद्यालय अनूपपुर (MP)

दिनांक 06/02/2020

क्रमांक 180/अ.प्र.वि./2020  
प्रति,

नाम कु. सुजीता सोनी  
पिता/पति (श. श्री. हरिप्रताप सोनी)  
पता ग्राम पंच. कौतमा, जिला-अनूपपुर (MP)

विषय-आपके ऑनलाईन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि विद्यान हेतु आमंत्रण की सूचना।  
संदर्भ-आपका आवेदन क्रमांक 516605 दिनांक 05/02/2020

—00—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में उपपल  
विषय पर अतिथि विद्यान आमंत्रण हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र  
2019-20 में अतिथि विद्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।  
आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य  
होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्यानों द्वारा प्रति  
सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल,  
रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। अतिथि विद्यानों को मानदेय शासन की नीति  
निर्देश दिनांक 17.12.2019 को कांडिका 5.1 अनुसार होगा।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सीमित होगा।
3. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया  
जा सकता है।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र-एव पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने  
संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में  
शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 06/2/2020 महाविद्यालय में उपस्थित देनी होगी।  
निर्धारित तिथि एक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।  
आपको शासन के आदेश क्रमांक-एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में  
वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्यान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
8. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्यान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में  
पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

पृ क्रमांक 181/अ.प्र.वि./2020  
प्रतिलिपि-  
1. क्षेत्रीय अतिरिक्त, संचालक, उच्च शिक्षा, 2/अ  
संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2. कार्यालयीन प्रतिलिपि।

PRINCIPAL  
Govt. Tulsi College  
Distt. Anuppur (M.P.)  
दिनांक 06.02.2020

सचिव  
जनभागीदारी समिति  
PRINCIPAL  
Govt. Tulsi College  
Distt. Anuppur (M.P.)

one copy  
secured

PRINCIPAL  
Govt. Tulsi College Anuppur  
Distt. Anuppur (M.P.)